फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,

नई दिल्ली-110001

दिनांक 13.03.2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में फरवरी, 2023 का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ फरवरी, 2023 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

ह./-

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

011-23034899

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का फरवरी, 2023 का मासिक सार।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

(i) 2023-24 का केंद्रीय बजट लोक सभा में 01.02.2023 को पेश किया गया।

(ii) वित्त विधेयक, 2023 लोक सभा में 01.02.2023 को पुरःस्थापित किया गया।

(iii) सत्रहवीं लोक सभा का 11वां सत्र और राज्य सभा का 259वां सत्र (बजट सत्र, 2023) सोमवार, 13 मार्च, 2023 को पुनः समवेत होने के लिए सोमवार, 13 फरवरी, 2023 को मध्यावकाश के लिए स्थगित किया गया।

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

फरवरी, 2023 माह के दौरान, लोक सभा की कार्यवाही से 22 आश्वासनों को निकाला गया और राज्य सभा की कार्यवाही से 25 आश्वासनों को निकाला गया।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

फरवरी, 2023 माह में –

क. परामर्शदात्री समितियों की 07 बैठकें आयोजित की गईं।

ख. 01 संसद सदस्य का नाम उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति के पश्चात परामर्शदात्री समिति से हटाया गया।

उपरोक्त विवरण **<u>अनुबंध - ।</u>** में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.02.2023 को लंबित मामले	269	230
माह के दौरान उठाए गए मामले	182	013
कुल लंबित मामले	451	243
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	065	049
शेष मामले	**386**	**194**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. फरवरी, 2023 के महीने में, कुल 66 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया है। 47 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्णत: या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया। इन युवा संसद बैठकों में 2063 छात्रों ने भाग लिया।

ख. दिल्ली के स्कूलों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का परिणाम 07 फरवरी, 2023 को घोषित किया गया। स्कूल ऑफ एक्सिलेन्स, कालकाजी को प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया।

ग. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का परिणाम 08 फरवरी, 2023 को घोषित किया गया। केंद्रीय विद्यालय नं.1, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया।

घ. केन्द्रीय विद्यालय, एएफएस मनौरी, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) ने 21 फरवरी, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

ङ. जवाहर नवोदय विद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र ने 18 फरवरी, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

च. आंध्र एज्यूकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रसाद नगर, करोल बाग ने 13 फरवरी, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

फरवरी, 2023 माह के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा राजस्थान विधानसभा का दौरा

क. सीपीएमयू नेवा के 3 अधिकारियों ने सचिव, राजस्थान विधानसभा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए 06 फरवरी, 2023 को राजस्थान विधानसभा, जयपुर का दौरा किया, ताकि उन्हें नेवा प्लेटफॉर्म के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी जा सके। यह बैठक राजस्थान विधानसभा में नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स को अपनाने के लिए सचिव के आदेश में परिणत हुई।

2. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय आभासी बैठक

क. बिहार, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, मणिपुर और झारखंड की विधानसभाओं में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की प्रगति की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 15 से 17 फरवरी, 2023 तक आभासी बैठक आयोजित की गई।

3. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा हरियाणा विधानसभा का दौरा

क. सीपीएमयू नेवा के 2 अधिकारियों ने 20 से 23 फरवरी, 2023 तक हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ का दौरा किया ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करते अपने सत्र के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिल सके।

ख. हरियाणा विधान सभा ने अपने बजट सत्र के दौरान नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से कागज-रहित मोड में अपना बजट और राज्यपाल का सम्बोधन पेश किया। इसके परिणामस्वरूप नेवा से पूर्व के समय की तुलना में कागजों की खपत बहुत कम हुई।

ग. विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे नेवा एप्लिकेशन का उपयोग प्रभावी ढंग से कर सकें।

4. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद का दौरा

क. सीपीएमयू नेवा के 2 अधिकारियों ने 20 से 23 फरवरी, 2023 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, लखनऊ का दौरा किया ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करके अपने बजट सत्र के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिल सके।

ख. बजट सत्र के दौरान परिषद की विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं में नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यशाला

क. केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई, नेवा ने 27-28 फरवरी, 2023 को त्रिपुरा विधानसभा के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि उन्हें नेवा के विभिन्न मॉड्यूल में प्रशिक्षण दिया जा सके और विधानसभा के अधिकारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

ख. सीपीएमयू नेवा ने नेवा परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए 28 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश विधानमंडल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऑनलाइन बैठक भी आयोजित की। बैठक में सचिव, आईटी, आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश विधानमंडल के अधिकारियों ने भाग लिया।

6. विभिन्न विधानसभाओं को नेवा प्लेटफार्म पर अपने सत्रों के संचालन में दी गई सहायता

क. सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मणिपुर और मिजोरम की विधानसभाओं को बाधारहित तरीके से नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए आवश्यक सहयोग दिया गया।

- **प्रोटोकॉल और कल्याण**

माह के दौरान:-

अर्जेंटीना के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 06 फरवरी 2023 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की और पारस्परिक हितों पर चर्चा की।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन की स्वीकृति' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. ज़ारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

गतिविधियां की जा रही हैं और उनका अनुवीक्षण किया जा रहा है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

अनुबंध-I

फरवरी, 2023 माह में आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठकों की सूची:-

क्र.सं.	दिन, दिनांक और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/टिप्पणी
1.	सोमवार, 6 फरवरी 2023 पूर्वाह्न 9:30 बजे	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	"अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि का विकास"	समिति कक्ष "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली
2.	सोमवार, 6 फरवरी 2023 को अपराह्न 6:00 बजे	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	"वर्तमान परिदृश्य में विनिर्माण और निवेश के विकास को बढ़ावा देना"	समिति कक्ष "डी", संसदीय सौध, नई दिल्ली
3.	मंगलवार, 7 फरवरी 2023 को अपराह्न 5:45 बजे	गृह मंत्रालय	वामपंथी उग्रवाद	समिति कक्ष सं. '3', संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली
4.	बुधवार, 8 फरवरी, 2023 पूर्वाह्न 9:30 बजे	जल शक्ति मंत्रालय	जल शक्ति अभियान	समिति कक्ष "डी", संसदीय सौध, नई दिल्ली
5.	गुरुवार, 9 फरवरी 2023 को अपराह्न 6:30 बजे	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	ऑपरेशन ग्रीन	समिति कक्ष "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली
6.	मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	हरित पोत और हरित पत्तन	मुंबई, महाराष्ट्र
7.	शुक्रवार, 24 फरवरी 2023 अपराह्न 2:00 बजे	वस्त्र मंत्रालय	"तकनीकी वस्त्र- वर्तमान स्थिति और भविष्य की रूपरेखा"	"ग्रैंड बी एंड सी, बॉम्बे एक्जीबिशन सेंटर, नेस्को सेंटर, गोरेगांव (पूर्व)", मुंबई, महाराष्ट्र

फरवरी, 2023 के दौरान मृत्यु/इस्तीफे/सेवानिवृत्ति के कारण विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए संसद सदस्य

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें वे मनोनीत थे	कारण
1.	श्री संतोख सिंह चौधरी, सांसद (लोक सभा)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	07.02.2023 को मृत्यु